

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 12, मंगलवार, शाके 1948- जून 02, 2026 Jyaistha 12, Tuesday, Saka 1948- June 02, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 12, 2025

संख्या प.9(27)राज-1/2025-25047:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, जैसलमेर एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि **जैसलमेर जिले की तहसील फलसूण्ड एवं पोकरण** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूल ग्राम का शेष क्षेत्रफल (है. में)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन सं ख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जन सं ख्या 2011		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जैसलमे र / फलसूण्ड	दांतल / भणिया णा	दांतल LG Code 86396	3157. 4987	1716	श्री छोटसा नगर Shree Chhotsa Nagar	290.07 13	232	3.5	2867.4 274
2	जैसलमे र / पोकरण	सांकड़ा / सांकड़ा	सांकड़ा LG Code 86325	5059. 6474	3945	सदराणगढ़ Sadrangarh	1714.2 13	1466	8	3345.4 344

3	जैसलमे र /	सुभाषनग र / भणिया णा	सुभाषनग र LG Code 86427	1090. 6574	714	कानपुर Kanpur	370.77 22	251	5	719.88 52
4	फलसूण्ड	पदमपुरा / भणिया णा	पदमपुरा LG Code 86467	1507. 2816	1066	विजय नगर Vijay Nagar	483.12 08	418	3.5	1024.1 608

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु जिला कलक्टर, जैसलमेर को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।